

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(148)नविधि/3/2010

जयपुर, दिनांक:- 6 NOV 2015

परिपत्र

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम 2007 के अन्तर्गत पारित संपरिवर्तन आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहित कर ली जाने और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समग्रवृत्त किये जाने का प्रावधान है। इन नियमों में यह भी प्रावधान है कि उक्त 5 वर्षों की अवधि को नियम 14 के तहत 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा रूपान्तरण शुल्क लेकर बढ़ाया जा सकता है।

समय-समय पर विकास प्राधिकरण व नगर सुधार न्यास के क्षेत्राधिकार में बढ़ोतरी होती रहती हैं एवं बड़े हुए क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे भी सम्मिलित हो जाते हैं जिनमें संपरिवर्तन राजस्व एजेन्सी द्वारा पूर्व में किया जा चुका होता है। इस प्रकार के मामलों में अग्रिम कार्यवाही किस-किस जावे, इस संबंध में विभाग में प्रकरण प्राप्त होते रहते हैं, जिन पर विचार किया गया। उक्त नियम 2007 के अन्तर्गत संपरिवर्तित ऐसी भूमियाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों के विस्तार के साथ नगरीय क्षेत्र/मास्टर प्लान क्षेत्र/मास्टर डेवलपमेंट प्लान क्षेत्र में सम्मिलित हो चुकी है, ऐसी भूमियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

1. राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम 2007 के अन्तर्गत संपरिवर्तित ऐसी भूमि जिनका निर्धारित 5 वर्ष की अवधि अथवा बढ़ाई हुई कालावधि में संपरिवर्तित प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिया गया है, उन प्रकरणों में मायता प्रदान करते हुए केवल बाह्य विकास शुल्क वसूल किया जावे।
2. ऐसे प्रकरण जिनमें 5 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है अथवा समयवाधि में की गई वृद्धि पूर्ण हो चुकी है परन्तु संपरिवर्तित प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया गया है तथा इस कारण से उनका संपरिवर्तन अप्रभावी हो चुका है, ऐसे प्रकरणों में धारा 90(क) के तहत कार्यवाही की जावे तथा उनसे नगरीय विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना में भू-संपरिवर्तन शुल्क (Land conversion charges) तथा बाह्य विकास शुल्क (E.D.C.) वसूल किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(अशोक जैन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनाथ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन/राजस्व विभाग।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. सभागाय आयुक्त, (समस्त) राजस्थान।
8. जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
10. स्वायत्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं शासन।
11. ✓ त्रिस्त उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु मध्य अतिरिक्त प्रति के।
12. सचिव, जयपुर/झोझपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
13. मुख्य नगर नियोजक, नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. सचिव, नगर सुधार न्यास, (समस्त) राजस्थान।
15. समस्त अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।

(जगजीत सिंह मोंगा)
शासन उप सचिव-द्वितीय

1 A. 59/5/21
क्र. 30
6-11-15